क्र. सं०

नवल किशोर भरतिया म्युनिसिपल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चन्दौसी

सम्बद्ध : महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड
विश्वविद्यालय, बरेली (उ०प्र०)
राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा मूल्यांकित एवं
प्रत्यायित CGPA - 2.44 GRADE B

विवरणिका
सत्र 2022-23

विशेष - 75% से कम उपस्थिति की स्थिति में छात्राओं को वि० वि० परीक्षा से वंचित किया जाएगा।

प्रबन्ध-समिति

श्री निर्मल किशोर भरतिया
आजीवन अध्यक्ष

श्री वीरेश कुमार भरतिया
उपाध्यक्ष

श्रीमती इन्दु रानी
अवैतनिक सचिव

श्री पंकज शर्मा
सदस्य

प्रो0 रेखा अग्रवाल
सदस्या

श्रीमती संगीता भार्गव
सदस्या

श्री देवेन्द्र गुप्ता 'मोनू'
सदस्य

श्री अर्चित अग्रवाल
सदस्य

श्रीमती मोनिका अग्रवाल
सदस्या

प्रो0 अलका रानी अग्रवाल
प्राचार्या

सम्पादक - डॉ0 दीपा पाठक, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग

हमारा महाविद्यालय : अवलोकन

माँ श्वेताम्बरा के इस पावन मन्दिर नवल किशोर भरतिया म्युनिसिपल कन्या महाविद्यालय की स्थापना तत्कालीन चन्दौसी निवासी, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक, उदारता की महान मूर्ति स्व0 श्री नवल किशोर भरतिया की प्रेरणा व असीम अनुकम्पा से तथा तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष के परम सहयोग से दिनांक 6 अक्टूबर 1964 को की गयी थी।

प्रारम्भ में हिन्दी, अंग्रेजी , संस्कृत, अर्थशास्त्र , शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संगीत गायन व वादन विषयों की कक्षाएँ (स्नातक) प्रारम्भ की गईं। 1973 में बी.एड.तथा 1984 में गृहविज्ञान विषय की कक्षाएँ प्रारम्भ की गईं। 1986 में संस्कृत व राजनीतिशास्त्र विषयों में एम. ए. कक्षाओं के प्रारम्भ से यह संस्था स्नातकोत्तर महाविद्यालय बन गयी।

सन् 2001 में अंग्रेजी व अर्थशास्त्र तथा सन् 2002 में गृहविज्ञान विषयों में भी स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत एम.ए. कक्षाएँ प्रारम्भ कर दी गयी। सन् 2005–06 से बी. एससी. (गणित तथा जीव विज्ञान) तथा सत्र 2008–09 से एम.एड. कक्षाएँ प्रारम्भ हो चुकी हैं।

छात्राओं के शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास तथा ज्ञानवर्धन हेतु महाविद्यालय में खेलकूद, क्रीड़ा, सांस्कृतिक समिति द्वारा गीत, नृत्य, कला–कौशल तथा शैक्षणिक–समिति के तत्त्वावधान में भाषण, निबन्ध, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, सामान्य ज्ञान व कम्प्यूटर शिक्षा आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। मेधावी व प्रतिभाशाली छात्राओं को प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक–वितरण–समारोह में पुरस्कृत किया जाता है। देश–प्रेम, सेवा की भावना तथा चारित्रिक विकास हेतु महाविद्यालय में राष्ट्रीय–सेवा–योजना, राष्ट्रीय –कैडेट कोर, रेन्जर्स गाइड व नैतिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमों के तत्वावधान में छात्राएँ कार्य करती हैं।

योग्य एवं अनुभवी प्रवक्ताओं के लगन व परिश्रम से अध्यापन कार्य तथा शिक्षा की उच्च गुणवत्ता के परिणामस्वरूप महाविद्यालय का परीक्षा–परिणाम लगभग 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक प्रतिवर्ष बना रहता है। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्राएँ सर्वाधिक अंक प्राप्त करके महाविद्यालय को गौरवान्वित करती रहीं हैं। अत्यन्त गर्व का विषय है कि रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय परीक्षा 1990 में कु0 रंजना अग्रवाल, 2002 में कु0 अंशु वार्ष्णेय ने एम. ए. संस्कृत में, परीक्षा 2003 में कु0 स्वाति गौड़ ने एम.ए. अंग्रेजी में तथा कु0 लवी सक्सैना ने एम.ए. गृह विज्ञान में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2012 में कु० दीपाली अग्रवाल ने स्नातक में रुहेलखण्ड वि० वि० में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर महाविद्यालय को गौरवान्वित किया है। 2012 में एम. एड. की छात्रा कु० मोनिका राघव, 2020 में कु० कोमल वार्ष्णेय ने J. R. F. उत्तीर्ण किया। 2016 में एम.एड. की कु० एकता सागर ने एवं एम.ए. गृहविज्ञान की कु० सरिता यादव ने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2017 में श्रीमती अंजुलि अग्रवाल, कु० कोमल वार्ष्णेय एवं श्रीमती कीर्ति सिंह व कु० नितिक्षा शर्मा ने, 2018 में कु० अनु त्यागी, कु० प्रीति चौधरी, 2019 में कु० साक्षी गुप्ता, कु० सलोनी राघव 2020 कुमारी कोमल, 2021 में कु0 नाजिया अफताफ, 2022 कु0 पूजा अग्रवाल ने नेट, की परीक्षा उत्तीर्ण की है। महाविद्यालय में मेधावी व प्रतिभाशाली छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति तथा निर्धन छात्राओं हेतु शुल्कमुक्ति व आर्थिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

विभिन्न शहरों एवं राज्यों से पढ़ने आने वाली छात्राओं के लिए महाविद्यालय के हरे–भरे, पर्यावरण–प्रदूषणमुक्त परिसर में दो सुरक्षित एवं सुविधा–सम्पन्न एवं पूर्णकालिक विद्युत–सुविधा–सम्पन्न दो मंजिल छात्रावास स्थित है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बंगलौर द्वारा महाविद्यालय को नवम्बर 2011 में 2.44 सी.जी.पी.ए. के सम्मानजनक अंक के साथ बी ग्रेड प्रदान किया गया। शिक्षा–संकाय को राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा अप्रैल 2012 में 2.56 सी.जी.पी.ए. के के साथ 'बी' ग्रेड प्राप्त हुआ।

महाविद्यालय – प्रबन्ध समिति

1.	श्री निर्मल किशोर भरतिया	आजीवन अध्यक्ष	11–26926478
2.	श्री वीरेश कुमार भरतिया	उपाध्यक्ष	9717977432
3.	श्रीमती इन्दु रानी	अवैतनिक सचिव	8445461160
4.	श्री पंकज शर्मा	सदस्य	9412245746
5.	डॉ0 रेखा अग्रवाल	सदस्या	9027169336
6.	श्रीमती संगीता भार्गव	सदस्या	9012670123
7.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	सदस्य	8077901317
8.	श्री अर्चित अग्रवाल	सदस्य	9837489918
9.	श्रीमती मोनिका अग्रवाल	सदस्या	8979320007
10.	प्रो0 अलका रानी अग्रवाल	प्राचार्या	7599211764
11.	डॉ0 अमिता चौधरी	शिक्षक प्रतिनिधि	6398342374
12.	डॉ0 शिखा बंसबाल	शिक्षक प्रतिनिधि	7668982897
13.	श्री राजेश कुमार	शिक्षणेतर प्रतिनिधि	9027124777

माता–पिता/अभिभावकों से विनम्र अनुरोध

छात्राओं के सर्वांगीण विकास व लाभ हेतु माता–पिता/संरक्षक तथा गुरूजनों का सम्पर्क एवं सहयोग अति आवश्यक है। कृपया ध्यान दें :–

1. इस नियमावली को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा दिए गए नियमों व निर्देशों का पालन करें।
2. माता–पिता/संरक्षक सभा आहूत किए जाने पर महाविद्यालय में अवश्य पधारें।
3. छात्रा की उपस्थिति प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत अवश्य हो।
4. छात्राएँ प्रतिदिन महाविद्यालय यूनिफॉर्म में ही आएँ तथा अपना परिचय पत्र सदैव साथ रखें।
5. छात्राएँ अपने अध्ययन विषय के कालांश के समय कक्षा छोड़कर कहीं न जाएँ। अध्ययन कार्य समाप्त होने पर ही महाविद्यालय से बाहर जाएँ।
6. महाविद्यालय की वेबसाईट http://nkbmgcollege.in एवम् प्रतिदिन सूचना पट्ट पर प्रदर्शित सूचनाँए अवश्य प्राप्त करें।
7. प्रवेश फार्म पर अंकित मोबाइल फोन, Whatsapp व ई–मेल को महाविद्यालय द्वारा सूचना प्रेषित करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। अपनी ई–मेल व मोबाइल पर प्राप्त सूचना को अधिकारिक माने। किसी भी परिवर्तन की स्थिति में महाविद्यालय को अवश्य सूचित करें।
8. रिक्त कालांश में पुस्तकालय अथवा कॉमन रूम में रहें।
9. छात्राएँ महाविद्यालय के अनुशासन के नियमों का पालन करें।
10. महाविद्यालय की पाठ्य–सहगामी क्रियाओं में भाग लेकर हमारा और अपना सम्मान बढ़ाएँ।

महाविद्यालय में कार्यरत स्टाफ

प्रो0 अलका रानी अग्रवाल		प्राचार्या	एम.ए., बी.एड., पी.एच.डी.

शिक्षा संकाय (बी.एड., एम.एड., व शोध कार्य)

1.	डॉ0 अर्चना कुमारी	एसोसिएट प्रोफेसर	एम.ए., एम.एड., एम.फिल., पी.एच.डी.
2.	डॉ0 भावना विष्ट	असिस्टेंट प्रोफेसर एवं प्रभारी	एम.एससी., एम.एड., जे.आर.एफ., पीएच.डी
3.	श्रीमती अमिता चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम. ए. (अंग्रेजी, ड्राइंग, पेन्टिंग), एम.एड., जे.आर.एफ. (शिक्षाशास्त्र), पीएच.डी.
4.	श्रीमती सुमन श्रेष्ठ	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., एम.एड., नेट पीएच.डी. (Pursuing)
5.	डॉ. शिखा बंसवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.एससी., बी.एड., एम.एड., नेट, पीएच.डी.

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत

6.	डॉ. सुमन गुप्ता	असिस·	एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
7.	श्रीमती अंजुलि अग्रवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., एम.एड. नेट

भाषा संकाय

संस्कृत विभाग (स्नातकोत्तर विभाग एवं शोध कार्य)

1.	डॉ. संगीता गोयल	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी	एम.ए., पीएच.डी.
2.	डॉ. रंजना अग्रवाल	एसोसिएट प्रोफेसर	एम.ए. (Gold Medalist), बी.एड., पीएच.डी.,
3.	डॉ. राका शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर	एम.ए. (संस्कृत (Gold Medalist), हिन्दी). पीएच.डी.,

अंग्रेजी विभाग (स्नातकोत्तर विभाग एवं शोध कार्य)

1.	अलका रानी अग्रवाल	प्रोफेसर (अवकाश पर)	एम.ए., बी.एड., पी.एच.डी.
2.	डॉ. कविता महाली	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., एम.फिल, नेट
3.	श्रीमती हेमलता भारती	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., नेट
4.	डॉ. सुनीता उपाध्याय	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., पीएच. डी.
5.	डॉ. प्रीति चौधरी	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., पीएच. डी.

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत

2.	डॉ. शीतल यादव	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., पीएच.डी.
3.	डॉ. मनीषा अग्रवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., पीएच.डी.

हिन्दी विभाग (स्नातक विभाग)

1.	डॉ. स्नेहलता पाण्डेय	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी	एम.ए., पीएच.डी.
2.	डॉ. रंजना अग्रवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., नेट, पीएच.डी.
3.	सुश्री विभा सिंह	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., नेट
4.	सुश्री प्रीति देवी	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., NET-JRF, पीएच. डी. (pursuing)

कला एवम् मानविकी संकाय

गृहविज्ञान विभाग ***(स्नातकोत्तर विभाग)***

1.	डॉ. अलका ठाकुर	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी	एम.ए., एम.एड., पीएच.डी.
2.	श्रीमती आरती ओझा	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.एससी., नेट

राजनीतिशास्त्र विभाग ***(स्नातकोत्तर विभाग व शोध कार्य)***

1.	डॉ. रीता	असिस्टेंट प्रोफेसर प्रभारी	एम.ए., बी.एड.,पीएच.डी.

अर्थशास्त्र विभाग ***(स्नातकोत्तर विभाग)***

स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत

1.	डॉ. ममता शर्मा	असिस्टेंट प्रोफेसर प्रभारी	एम.ए., पीएच.डी.

संगीत विभाग ***(स्नातक विभाग)***

1.	मेजर डा. सोनिया बिन्द्रा	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी	एम.ए., नेट, पीएच,डी., जे.आर.एफ. (यूजीसी द्वारा रिसर्च एवार्डी 2014–2016)

शिक्षाशास्त्र विभाग ***(स्नातक विभाग एवं शोध कार्य)***

1.	डॉ. सुमिता शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रभारी	एम.ए. (राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान) एम.एड., एम.फिल. पीएच.डी.
2.	डॉ. दीपा पाठक	एसोसिएट प्रोफेसर	एम.एस.सी. (भौतिकी), एम.एड.,(Goldmedalist) एम.फिल. (भौतिकी, शिक्षाशास्त्र) नेट, जे.आर.एफ. पीएच.डी
3.	सुश्री प्रियंका	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए.एम.फिल (मनोविज्ञान), एम.एड., नेट, जे.आर.एफ. पीएच. डी. (Pursuing)
4.	श्रीमती मोनिका राघव	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एम.एड. नेट, जे.आर.एफ., एस.आर.एफ., पीएच.डी. (Pursuing)

समाज शास्त्र विभाग

1.	डॉ. अपर्णा राय	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., नेट, जे.आर.एफ., पीएच.डी.(P.D.F. Pursuing)
2.	सुश्री शीतल गहलोत	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., एम.फिल **(Gold Medalist)**, U.G.C.- जे.आर.एफ.,एस.आर.एफ., नेट, उत्तराखण्ड SET, पीएच.डी., (Pursuing)
3.	डॉ. बबीता	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.ए., नेट, पीएच.डी

शारीरिक शिक्षा विभाग ***(स्नातक विभाग)***

1.	सुश्री अमनदीप कौर	असिस्टेंट प्रोफेसर	बी.पी.एड., एम.पी.एड., नेट

विज्ञान संकाय

(स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत)

रसायन विज्ञान

1.	डॉ. नीता गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.एम. सी., पीएच.डी.
2.	डॉ. इमराना	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.एम.सी., पीएच.डी.

जन्तु विज्ञान

1.	डॉ. सपना अग्रवाल	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.एससी., पीएच.डी.

वनस्पति विज्ञान

1.	डॉ. रेनू गुप्ता	असिस्टेंट प्रोफेसर	एम.एससी., पीएच.डी.

गणित

1. रिक्त .....

भौतिक विज्ञान

1. रिक्त .....

कार्यालय

1. श्री कृपाल सिंह यादव — कार्यालयाधीक्षक
2. श्री अतुल कुमार — लेखाकार
3. श्री राजेश कुमार — आशुलिपिक एवं पुस्तकालय प्रभारी (अतिरिक्त प्रभार)

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

1. श्री मुकेश कुमार
2. श्री राजेन्द्र कुमार
3. श्री रजनीश कुमार गौतम
4. श्री सतेन्द्र कुमार
5. श्री रोहताश कुमार शर्मा

महाविद्यालय में शिक्षा के आयाम : एक दृष्टि

कक्षा में प्रवेश लेने एवं आवेदन पत्र भरने से पूर्व नियमावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवश्य कर लें। बी.ए./बी.एससी./ एम.ए. कक्षाओं हेतु प्रवेश एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विवि० बरेली के निर्देशानुसार, नियमानुसार होंगे।

स्नातक पाठ्यक्रम

बी.ए. (सेमेस्टर प्रणाली) – प्रत्येक छात्रा को महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों के तीन ग्रुप में से किन्ही दो ग्रुप में से तीन मेजर व एक माइनर विषय चुनना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एक वोकेशनल व एक पाठ्यसहगामी विषय का अध्ययन भी करना होगा।

ग्रुप 1 : हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी भाषा, संस्कृत

ग्रुप 2 : शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान

ग्रुप 3 : संगीत गायन, संगीत वादन (तबला)

अन्य जानकारी विश्व विद्यालय Website पर उपलब्ध है।

बी.ए. (द्वितीय वर्ष) – सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत प्रवेश व नियम लागू होंगे।

बी.ए. (तृतीय वर्ष) – पूर्व निधारित वार्षिक परीक्षा प्रणाली के अनुसार

स्वकित पोषित योजना के अंतर्गत–

बी.एस.सी. (सेमेस्टर प्रणली) – विश्व विद्यालय के नियमानुसार प्रवेश व तीन मेजर, एक माइनर, एक वोकेशनल व एक पाठ्य सहगामी विषय लेना होगा।

उपलब्ध मुख्य विषय – जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान

वोकेशनल विषय, पाठय सहगामी विषय भी लेने अनिवार्य है।

बी.एस.सी. (द्वितीय वर्ष) – सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत

बी.एस.सी. (तृतीय वर्ष) – पूर्व निर्धारित वार्षिक प्रणाली के अनुसार

नोट :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित किये गए पाठ्यक्रम एवम् प्रक्रिया के आधार पर ही विषय आवटित किये जाएगें।
2. प्रयोगात्मक विषयों हेतु विश्वविद्यालय की व्यवस्थानुसार प्रयोगात्मक शुल्क देना अनिवार्य होगा।
3. प्रवेश स्वीकृत हो जाने के बाद विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी और न ही कोई शुल्क वापस किया जाएगा।

बी. एड. पाठ्यक्रम

बी. एड. प्राशिक्षण दो वर्ष की अवधि का होगा। सैद्धान्तिक अध्ययन के साथ छात्राओं के प्रशिक्षण अभ्यास एवम् Internship हेतु स्वयं Online/Offline व्यवस्था करनी होगी।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

एम.ए. (पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध) – राजनीति विज्ञान, संस्कृत, (अनुदानित योजना के अन्तर्गत)
एम.ए. (पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध) – अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान (स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत)

एम. एड. पाठ्यक्रम

(स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत)

एम. एड. में प्रवेश NCTE तथा रूहेलखण्ड विश्वविद्यायल, बरेली के नियमानुसार ही किये जाएंगे। पाठ्यक्रम भी NCTE द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार रहेगा।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. समस्त छात्राओं के प्रवेश एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली की परिनियमावली के अनुसार किये जाएंगे।
2. बी.एड. तथा एम. एड क्री छात्राओं के प्रवेश तथा चयन एम.जे. पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा निर्धारित प्रवेश परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार तथा एन. सी. टी. ई. के नियमानुसार किये जाएंगे।
3. बी.ए. तथा एम. ए. के समस्त प्रवेश निर्धारित सीटों पर पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली की नियमावली 2022 - 23 के अनुसार प्राप्तांकों के प्रतिशत+भारांकों के कुलयोग के वरीयता क्रम में किए जाएंगे।
4. किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने पर उसी पाठ्यक्रम में उस छात्रा को संस्थागत प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
5. एम.ए. में प्रवेश हेतु बी.ए. में 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनूसूचित जाति/जनजाति हेतु 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
6. एम.ए. कक्षा में जिस विषय में प्रवेश लेना है वही विषय बी.ए. तृतीय वर्ष में होना अनिवार्य है। नॉनस्ट्रीम के अन्तर्गत केवल 10 प्रतिशत छात्राओं के प्रवेश वरीयता क्रमानुसार किये जाएंगे।
7. एक विषय में व्यक्तिगत या संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में एम.ए. उत्तीर्ण कर लेने के बाद पुन: संस्थागत छात्रा के रूप में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
8. अनुसूचित साधनों का प्रयोग करने वाली तथा दण्ड प्राप्त करने वाली छात्रा /अनुत्तीर्ण छात्रा को संस्थागत छात्रा के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा।
9. प्रवेश आवेदन–पत्र की समस्त रिक्तियाँ पूर्ण करके निम्नलिखित प्रपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करके कार्यालय में जमा करें:–
   (1) हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका तथा प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
   (2) इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की सत्यापित छाया प्रति अथवा पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण की अंकतालिका की सत्यापित छायाप्रति।
   (3) पूर्व अन्तिम संस्था की प्रधानाचार्य द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र तथा स्थानान्तरण पत्र (टी.सी.) की छाया प्रति। यदि पूर्व अन्तिम संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से समबद्ध हो तो Migration Certificate संलग्न करें। चरित्र प्रमाण–पत्र व स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति प्रवेश के समय जमा होगी।
   (4) अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के वर्ग का होने पर शासन के पत्र संख्या 376/सत्तर–3–2011, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 दिनांक 18.04.2011 द्वारा शासनादेश संख्या 22/16/92/टी.सी. 11 1 दिनांक 22.10.2008 में विहित जाति प्रमाण–पत्रों के प्रारूप–1 पर अन्य पिछड़े वर्ग हेतु व प्रारूप–2 पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु निर्गत जाति प्रमाण–पत्र (तहसीलदार द्वारा) की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें तभी लाभ प्राप्त हो सकेगा।
   (5) कक्षा में नियमित रुप से उपास्थित रहने का वचन–पत्र।
10. प्रवेश हेतु घोषित तिथियों में समस्त प्रमाण–पत्रों व अंकतालिका की मूलप्रति जांच हेतु साथ लायें। प्रमाण–पत्र जांच के बाद ही प्रवेश की अनुमति प्राप्त होगी।
11. प्रवेश आवेदन पर प्रवेश अधिकारी व प्राचार्या के हस्ताक्षर के बाद निर्धारित शुल्क जमा होने पर ही प्रवेश स्वीकृत होगा।
12. किसी भी छात्रा को प्रवेश न देने या प्रवेश निरस्त करने का महाविद्यालय की प्राचार्या को अधिकार होगा। अनुशासहीनता/प्रवेश के नियमों का पालन न करने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
13. छात्राओं को कक्षाओं में अपनी 75 % उपस्थिति का वचन–पत्र प्रवेश के समय देना होगा।
14. छात्राओं को प्रवेश फार्म पर अपनी **e-mail ID** लिखनी अनिवार्य है।

विशेष – 1. एक बार जमा किया हुआ शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
2. महाविद्यालय से सम्बन्धित किसी भी वाद–विवाद के निर्णय हेतु स्थानीय न्यायालय अधिकृत होंगे।

ऑलाईन प्रवेश प्रक्रिया

(स्नातक व परास्नातक)

स्टेप –1 छात्रा द्वारा एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्याल, बरेली की वेवसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर फार्म की हार्ड कॉपी निकालवानी होगी।

स्टेप –2 महाविद्यालय के पोर्टल पर www.nk24.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराये, जिसका शुल्क 150/– है। शुल्क के Online भुगतान करने के बाद प्रवेश फार्म प्रिंट होगा।

स्टेप –3 एम0जे0पी0 रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का रजिस्ट्रेशन फार्म तथा महाविद्यालय का प्रवेश फार्म के साथ टी. सी., सी.सी., बी.ए./बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट की अंकतालिका तथा एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातक तृतीय वर्ष की अंकतालिका की छायाप्रति तथा अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

स्टेप –4 उपर्युक्त दोनो फार्मो के साथ समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय में सम्बन्धित विषय के प्रवेश अधिकारी के पास अंकतालिका व अन्य प्रमाण–पत्र लेकर जायें। प्रवेश अधिकारी से जांच व हस्ताक्षर करायें।

स्टेप –5 प्रवेश फार्म पर प्राचार्या के हस्ताक्षर कराने के उपरान्त महाविद्यालय के लेखाकार कार्यालय में श्री महक राजन के पास प्रवेश फार्म की एण्ट्री करायें। इसके उपरान्त ऑनलाईन प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया करें। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रवेश फार्म की एण्ट्री करायें। इसके उपरान्त ऑनलाईन प्रवेश शुल्क जमा करने की प्रक्रिया करें। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा करें, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करनी होगी। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न करने पर प्रवेश मान्य नहीं होगा।

पाठ्य सहगामी कार्यक्रम

छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में पाठ्यसहगामी कार्यक्रम की व्यवस्था है। इनमें सहभागिता करने वाली छात्राओं को जीवन के अनेक पड़ावों पर (उच्च शिक्षा/नौकरी के क्षेत्र में) अतिरिक्त लाभ (प्राथमिकता के आधार पर) मिलता है।

1. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

दो इकाई (200 छात्राएँ)– जो छात्रा इस योजना के अन्तर्गत दो विशेष कैम्प में भाग लेती है तथा 240 घंटे कार्य करती है, उसे बी.एड. में प्रवेश के समय 10 अंक और केवल 240 घंटे कार्य करने पर 5 अंक का अधिभार/लाभ मिलता है।

2. नेशनल केडिट कोर (एन.सी.सी.)

एक कम्पनी (105 छात्राएँ)– एन. सी. सी. का 'सी' सर्टिफिकेट करने वाली छात्रा को बी.एड. में प्रवेश के समय 15 अंक, 'बी' सार्टिफिकेट करने वाली छात्रा को 10 अंक का अधिभार मिलता है। Short Service Commission में जाने की इच्छुक छात्राओं को लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती। इन्टरव्यू के आधार पर उनका चयन हो जाता है।

3. रेंजर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम

इसके अन्तर्गत बी.ए. के तीन वर्ष में प्रवेश, प्रवीण व निपुण पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देकर प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाता है।

4. क्रीड़ा एवं खेलकूद

खेलकूद, एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केट बॉल, टेबिल टैनिस, क्रिकेट, खो–खो, शतरंज, कैरम आदि।

5. विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम–

नृत्य, गीत, संगीत, नाटक आदि प्रतियोगिताओं एवं उत्सवों का आयोजन।

6. अनुशासन परिषद्–

परिसर में अनुशासन व शान्ति बनाये रखने के लिए अनुशासन परिषद् का गठन किया जाता है जिसमें एक चीफ प्रॉक्टर तथा प्रॉक्टरस् (प्रवक्ता वर्ग से), एक चीफ प्रीफ़ेक्ट तथा प्रीफ़ेक्ट दल (छात्राएँ) होते हैं। सम्पूर्ण वर्ष कालेज में प्रतिदिन एवं प्रत्येक कार्यक्रम में अनुशासन व्यवस्था बनाये रखने का कार्य यही परिषद् करती है।

7. छात्र – कल्याण बोर्ड

छात्राओं की प्रतिभा के बहुमुखी विकास हेतु, विद्यालय के विभिन्न शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियों में छात्राओं की सक्रिय भागीदारी एवं छात्र कल्याणकारी कार्यों हेतु महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र–कल्याण बोर्ड का गठन किया जाता है।

इच्छुक छात्राएँ प्रवेशोपरान्त तुरन्त सम्बन्धित शिक्षिका से सम्पर्क करें।

प्रमुख तिथियाँ

1. स्थापना दिवस	–	6 अक्टूबर
2. संस्थापक दिवस	–	4 दिसंबर
3. वार्षिकोत्सव	–	फरवरी माह

हमारे प्रकाशन

1. महाविद्यालय की पत्रिका 'चेतना'

इसमें छात्राओं व महाविद्यालय की बहुमुखी प्रगति, क्रियाकलापों एवं गौरवपूर्ण गतिविधियों का सचित्र प्रकाशन किया जाता है। सत्र 2016 तक वार्षिक पत्रिका 'चेतना' का प्रकाशन किया जा चुका है।

मेधावी, निर्धन एवम् नियमित छात्राओं हेतु छात्रवृत्तियाँ एवं सर्वाधिक अंक हेतु पुरस्कार

1. श्रीमती कृष्णा देवी स्मृति उत्कृष्टता पुरस्कार (01) रूपये 2100/–बी.एड.
2. श्रीमती कमला जोशी स्मृति पुरस्कार (01) रूपये 2100/–एम.ए. उत्तरार्द्ध अंग्रेजी
3. ज्ञान स्मृति पुरस्कार (01) रुपये 1001/– कक्षा बी.एड. एवं (01) रुपये 1001/– कक्षा एम.एड.
4. श्रीमती मगना देवी पंडित विद्यासागर नागर स्मृति पुरस्कार (01) रुपये 2100/– कक्षा एम.ए. उत्तरार्द्ध (गृहविज्ञान)
5. स्व० डा० रायसिंह माहुर – पुण्य स्मृति पुरस्कार (01) रुपये 2100/– स्नातक स्तर शिक्षाशास्त्र
6. स्व० श्री जगदीश नारायण सक्सैना स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी पुण्य स्मृति पुरस्कार (01) रुपये 1100/– कक्षा बी.एड. एवं (01) रुपये 1100/– कक्षा एम. एड.

निर्धन छात्राओं हेतु शुल्क मुक्ति एवं छात्रवृत्ति

सभी वर्ग की छात्राओं की छात्रवृत्ति हेतु उनके अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रूपये 1,00,000/– (एक लाख) तक होनी चाहिए। **SC/ST** छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय 200,000/–से कम होनी आवश्यक है। आय प्रमाण–पत्र तहसीलदार द्वारा निर्गत होना चाहिए। छात्रवृत्ति के फॉर्म के साथ आय प्रमाण–पत्र, गतवर्ष की अंकतालिका व प्रवेश शुल्क की रसीद की प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति की छात्राओं को तहसीलदार द्वारा निर्गत तथा प्रवेश नियमावली में लिखे अनुसार जाति प्रमाण–पत्र लगाना आवश्यक है।

निर्धन छात्राओं हेतु निर्धन छात्रा कोष की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा प्राप्ति हेतु निर्धन छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र भरना तथा साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। मेधावी एवं परिश्रमी छात्राओं हेतु सरकार राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रदान करती है।

छात्राओं हेतु आचार–संहिता

नवल किशोर भरतिया महा म्युनिसिपल कन्या (स्नोतकोत्तर) महिला महाविद्यालय प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस महविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राएँ इस के सम्मान व प्रतिष्ठा की रक्षक हैं। संस्था के आन्दर व बाहर उनकी व्यवहार उसी के अनुकूल होना चाहिए। महाविद्यालय के वातावरण एवं संस्कृति को और अधिक उपयोगी व समृद्ध बनाने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी आवश्यक हैं।

1. यूनिफॉर्म (गणवेश)

महाविद्यालय में सादा कपड़े की सफेद सलवार, सफेद कुर्ता या सफेद साड़ी ब्लाउज, सफेद दुपट्टा/सफेद स्कार्फ पहनना अनिवार्य है।

सर्दियों में मैरून स्वेटर कोट या जेकेट पहनना अनिवार्य है। विवाहित छात्राएँ मैरून दुपट्टे का प्रयोग कर सकती हैं। उचित यूनीफार्म में न आने पर छात्रा को कक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा व दण्डित भी किया जा सकता है। प्रत्येक शनिवार को छात्राएँ निर्धारित यूनीफॉर्म से इतर अन्य मर्यादित वेशभूषा में महाविद्यालय आ सकती हैं परन्तु महाविद्यालय में शनिवार एवं अवकाश में आयोजित कार्यक्रम में यूनीफार्म में आना अनिवार्य है।

2. विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने की अर्हता एवं उपस्थिति सम्बन्धी नियम

कक्षाओं में छात्रा को नियमित रूप से आना अनिवार्य है। विद्यालय में शिक्षण कार्य का समय प्रात: 9.15 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक रहेगा। इस बीच छात्रा को कोई भी सैक्शन नियमानुसार दिया जा सकता है जिसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। छात्रा को प्रतिदिन नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहना है। यदि अपरिहार्य कारणवश या बीमारी की स्थिति में छात्रा कक्षा में उपस्थित रहने में असमर्थ है तो इसकी सूचना सम्बन्धित विषय कक्षा शिक्षिका को लिखित रूप से आवेदन पत्र में दे। लगातार 10 दिन बिना सूचित किए अनुपस्थित रहने पर नाम भी काटा जा सकता है।

पाठ्यक्रम के समुचित लाभार्जन के लिए छात्राओं के हितार्थ प्रतिदिन व नियमित रूप से कक्षाओं में उनकी उपस्थिति आवश्यक रखी गयी है अर्थात छात्रा को प्रतिदिन कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए शैक्षिक सत्र में कक्षाएँ चलने तक कुल उपस्थिति प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत होनी आवश्यक है। किसी भी विषय में उपस्थित 75 प्रतिशत से कम होने पर छात्रा एम.जे. पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अधिकारिणी नहीं होगी। इसका पूर्णदायित्व छात्रा का होगा।

3. अनुशासन

महाविद्यालय वातावरण को शान्त व अनुशासित बनाये रखने में सभी छात्राओं का पूर्ण सहयोग अपेक्षित है। इसके लिए छात्रा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए तीन मिनट से अधिक का समय न ले। बरामदों व कक्षा के सामने विचरण करने से अध्यापन कार्य में विध्न पहुँचता है। अत: छात्राओं को बरामदे तथा कक्षा के सामने के मैदान में नहीं घूमना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय आपस में बातचीत न करें। खाली समय में पुस्तकालय में पढ़ें। छात्राओं को कैन्टीन की सुविधा भी है। महाविद्यालय–परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग प्रतिबन्धित है। महाविद्यालय में कोई छात्रा आभूषण पहनकर नहीं आएगी। महाविद्यालय के अनुशासन सम्बन्धी नियमों की अवहेलना करने वाली छात्रा उचित दण्ड की भागी होगी।

4. सूचना

महाविद्यालय की महत्वपूर्ण सूचनाएँ नोटिस बोर्ड एवं महाविद्यालय वेबसाइट http://nkbmgcollege.in पर लगायी जाती हैं। अतः छात्राओं को प्रतिदिन नोटिस बोर्ड देखते रहना चाहिए। यदि छात्राएँ समयानुसार सूचना नहीं देखती हैं और किसी महत्वपूर्ण जानकारी से अनभिज्ञ रह जाती हैं तो इसका उत्तरदायित्व स्वयं छात्राओं पर ही होगा। मोबाइल फोन व ई–मेल पर भी सूचनाएँ प्रेषित की जा सकती हैं।

5. परिचय-पत्र

प्रत्येक कक्षा के लिए प्रतिवर्ष नया परिचय–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। परिचय–पत्र प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। किसी भी शिक्षिका अथवा अधिकारी द्वारा अकस्मात् परिचय–पत्र देखा जा सकता है। परिचय–पत्र प्रस्तुत करने पर ही फीस ली जाएगी। लाइब्रेरी कार्ड प्राप्त करने के लिए भी परिचय–पत्र प्रस्तुत पत्र करने पर छात्रा को पाठ्य पुस्तकें और शुल्क मुक्ति दी जा सकेगी। परिचय–पत्र प्रस्तुत करने पर ही विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगी। उन सभी स्थानों पर, अवसरों पर, जहाँ इस विद्यालय की छात्राओं को उपस्थित होने का अधिकार है, यह परिचय–पत्र प्रत्येक छात्रा के पास होना आवश्यक है। अधिकारियों द्वारा मांग करने पर इसे प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में छात्रा को दण्डित किया जा सकता है। कॉलेज के बाहर अन्य अवसरों पर यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः छात्राओं को अपने हित में महाविद्यालय का परिचय–पत्र सदैव अपने पास रखना चाहिए।

6. पुस्तकालय

अनेक पुस्तकों, विभिन्न प्रकार की पत्र–पत्रिकाओं, इनसाइक्लोपीडिया, विश्व व अन्य संदर्भ ग्रन्थों से सुसज्जित पुस्तकालय में अध्ययन–कक्ष, बुक–बैंक सुविधा एवं निर्धन व जरूरतमंद छात्राओं के लिए अलग से भी पुस्तकों की व्यवस्था है। पुस्तकालय को विज्ञान एवं सूचना तकनीकी के उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। पुस्तक लेने से पूर्व छात्रा को पुस्तक का भली प्रकार निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि पुस्तक ठीक स्थिति में नहीं है या बीच में पृष्ठ फटे हें तो उसी समय पुस्तकालयाध्यक्ष को सूचित करें अन्यथा पुस्तक लेने वाली छात्रा को ही पुस्तकालय में नई पुस्तक देने का उत्तरदायित्व वहन करना पड़ेगा। पुस्तक खो जाने पर छात्रा से ही पुस्तकालय में नई पुस्तक ली जायेगी। पुस्तक न मिलने पर दण्ड रूप में वर्तमान मूल्य का दोगुना लिया जायेगा। दुर्लभ पुस्तक खो देने की स्थिति में दो गुने से भी अधिक गुणा दण्ड लेने के साथ–साथ पुस्तकालय की सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है। निश्चित अवधि से अधिक समय तक पुस्तक रखने पर छात्रा को आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है तथा अपराध की गुरूता के अनुसार उसकी पुस्तकालय सदस्यता भी समाप्त की जा सकती है।

7. छात्रावास

महाविद्यालय परिसर के अत्यन्त सुरक्षित वातावरण में 100 छात्राओं के निवास हेतु छात्रावास उपलब्ध है। सभी कमरे पंखे व आवश्यक फर्नीचर से सुसज्जित हैं। जनरेटर की भी सुविधा उपलब्ध है। कम्प्यूटर, इन्टरनेट, टेलीविजन, विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएँ व खेलों की सुविधायुक्त छात्रावास छात्राओं को समुचित वातावरण प्रदान करता है। छात्रावास में प्रवेश की इच्छुक छात्रा को अपने स्वाभाविक अभिभावक के साथ आना अनिवार्य है । छात्रावास में प्रवेश के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा जो पहले वार्डन के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा तत्पश्चात् प्राचार्या की अनुमति लेनी होगी। छात्रावास विवरणिका एवं प्रवेश आवेदन पत्र पृथक् से उपलब्ध है। छात्रावास के कार्य की देखरेख एक छात्रावास समिति द्वारा की जाती है। जिसमें वार्डन, प्राध्यापिकाएँ तथा छात्रावास की छात्राएँ होती हैं। छात्रावास में रहने वाली छात्रा के आचरण के लिए उसके अभिभावक उत्तरदायी होंगे। किसी भी छात्रा को आभूषण पहनने या रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्रावास के नियमों का पालन न करने या किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करने पर छात्रा को छात्रावास से निकाला जा सकता है।

8. साइकिल स्टैण्ड

छात्राओं को साइकिल या दो पहिया वाहन, साइकिल स्टैण्ड पर ताला लगाकर ही रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश साइकिल, स्कूटर, मोपेड साइकिल स्टैण्ड से अन्यत्र पाई जाती है तो उस छात्रा को दण्डित किया जायेगा। साइकिल खो जाने पर महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। अतः छात्राएँ साइकिल स्टैण्ड के अन्दर सुरक्षित रूप से साइकिल रखें।

महाविद्यालय की विभिन्न समितियाँ

समिति	*प्रभारी*
1. प्रवेश	
(क) बी.ए./बी.एस.सी. (सेमेस्टर प्रणाली)	श्रीमती आरती ओझा
(ख) बी.ए. (द्वितीय वर्ष)	डॉ0 सुमिता शर्मा
(ग) बी.ए. (तृतीय वर्ष)	डॉ0 रंजना अग्रवाल (संस्कृत)
(घ) एम.ए. – गृह विज्ञान	डॉ0 अलका ठाकुर
– संस्कृत	डॉ0 राका शर्मा
– राजनीति विज्ञान	डॉ0 रीता
– अंग्रेजी	श्रीमती हेमलता भारती
– अर्थशास्त्र	डॉ0 ममता शर्मा
(ड़) बी.एड./एम.एड.	डॉ0 अर्चना कुमारी
2. समय – सारिणी	डॉ0 रंजना अग्रवाल (हिन्दी)
3. विवरणिका	डॉ0 दीपा पाठक
4. परीक्षा समिति	
– मिडटर्म परीक्षा	डॉ0 संगीता गोयल
– प्रायोगिक परीक्षा समन्वयक	डॉ0 अर्चना कुमारी
5. वार्षिकोत्सव समिति	डॉ0 संगीता गोयल
6. अनुसंधान एवम् विकास प्रकोष्ठ,	डॉ0 शिखा बंसवाल
7. NAAC समन्वयक	डॉ0 संगीता गोयल
8. IQAC समन्वयक	डॉ0 दीपा पाठक
9. DCF II समिति	डॉ0 प्रीति चौधरी
10. Website समिति	श्रीमती मोनिका राघव
11. अनुशासन समिति	सुश्री अमनदीप कौर
12. राष्ट्रीय पर्व समिति	डॉ0 शिखा बंसवाल
13. संस्थापक दिवस 'यज्ञ' समिति	डॉ0 अलका रानी अग्रवाल
14. पुस्तकालय समिति	डॉ0 अर्चना कुमारी
15. परीक्षा परिणाम/उपाधि वितरण	डॉ0 नीता गुप्ता
16. वार्षिक पत्रिका 'चेतना' समिति	डॉ0 भावना
17. छात्रावास समिति	सुश्री विभा सिंह
18. SC/ST/Differently Abled छात्रवृत्ति/निर्धन छात्रा शुल्क माफी/कोष समिति	श्रीमती हेमलता भारती
19. कम्प्यूटर लैब	सुश्री प्रियंका
20. कौशल विकास प्रकोष्ठ	श्रीमती आरती ओझा
21. Online शिक्षा व LMS प्रकोष्ठ	श्रीमती मोनिका राघव
22. गतिविधि रिकार्ड समिति	डॉ0 रेनू गुप्ता
23. कैन्टीन समिति	डॉ0 सपना अग्रवाल

ACTIVITY CLUB

समिति	प्रभारी
24. N.S.S.	सुश्री शीतल (इकाई प्रथम) डॉ0 रीता (द्वितीय इकाई)
25. N.C.C.	डॉ0 सोनिया बिन्द्रा
26. रेंजर्स प्रशिक्षण	डॉ0 अपर्णा राय
27. छात्र कल्याण बोर्ड	डॉ0 अमिता चौधरी
28. शैक्षणिक समिति	श्रीमती हेमलता भारती
29. खेलकूद समिति	सुश्री अमनदीप कौर
30. GCPC	डॉ0 नीता गुप्ता
31. चिकित्सा समिति	डॉ0 सुमन गुप्ता
32. वृक्षारोपण समिति	डॉ0 रीता
33. मतदाता जागरूकता	डॉ0 रीता
34. आजादी का अमृत महोत्सव	डॉ0 रीता
35. हरित पर्यावरण व सौदंर्यीकरण	डॉ0 प्रीति चौधरी
36. नशा मुक्ति अभियान 'प्रहरी क्लब'	डॉ0 भावना

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम सम्बन्धी शुल्क (वार्षिक)

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	वार्षिक शुल्क
1.	एम0 ए0 अर्थशास्त्र	रु० 3,000/–
2.	एम0 ए0 अंग्रेजी	रु० 4,000/–
3.	एम0 ए0 गृहविज्ञान	रु० 12,000/–
4.	बी0 एससी0	रु० 4,000/–
5.	एम0 एड0	रु० 40,000/–

शुल्क का विवरण वर्ष 2021–22

प्रवेश के समय जमा होने वाला वार्षिक शुल्क

क्र0	मद	बी.ए.	एम.ए.	बी.एड.
1.	क्रीड़ा	150/–	150/–	150/–
2.	पत्रिका शुल्क	30/–	30/–	30/–
3.	निर्धन छात्रा शुल्क	12/–	12/–	12/–
4.	सांस्कृतिक शुल्क	12/–	12/–	12/–
5.	रीडिंग रूम शुल्क	12/–	12/–	12/–
6.	पुस्तकालय शुल्क	15/–	15/–	15/–
7.	वार्षिकोत्सव शुल्क	3/–	3/–	3/–
8.	परिचय–पत्र शुल्क	5/–	5/–	5/–
9.	छात्रा–कल्याण शुल्क	12/–	12/–	12/–
10.	हॉट एण्ड कोल्ड शुल्क	18/–	18/–	18/–
11.	कॉशन मनी शुल्क	15/–	15/–	16/–
12.	विकास शुल्क	30/–	30/–	30/–
13.	गृह विज्ञान प्रयोगात्मक शुल्क	240/–	...	...
14.	संगीत प्रयोगात्मक शुल्क	240/–	...	...
15.	बी.एड.प्रयोगात्मक शुल्क	...	...	240/–
16.	चिकित्सा शुल्क	12/–	12/–	12/–
17.	शिक्षा शास्त्र प्रयोगात्मक शुल्क	240/–	...	...
18.	पंजीकरण शुल्क	1/–	1/–	1/–
19.	प्रवेश शुल्क	3/–	3/–	3/–
20.	शिक्षण शुल्क	...	...	...
21.	महंगाई शुल्क	42/–	42/–	42/–
22.	नामांकन शुल्क	200/–(बी.ए., बी.एस.सी. प्रथम वर्ष)		

	संस्थागत स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम परीक्षा शुल्क	
5.	विकास शुल्क समस्त स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम	500/–
6.	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अन्तिम वर्ष में 300/– उपाधि शुल्क उपरोक्त क्रम संख्या 1–5 पर अंकित शुल्क के अतिरिक्त लिया जाएगा।	

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेल खंड विश्वविद्यालय,बरेली

प्रवेश नियमावली (परिसर एवं महाविद्यालयों के लिए)

शैक्षणिक सत्र – 2022 -23

खंड 'क'

1. (क) विश्वविद्यालय /सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 में सभी कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश राज्य स्तरीय / विश्वविद्यालय स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय केंद्रीयकृत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली के आधार पर किये जायेंगे ।

   (ख) विगत सत्र 2021-22 की भांति ही स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रभावी विषय संयोजन सम्बन्धी व्यवस्थाएं राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 (NEP–2020) एवं उक्त के क्रियान्वन हेतु शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप ही होंगी एवं सत्र 2022-23 में स्नातक प्रथम वर्ष में समस्त प्रवेश उक्त के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे । परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में भी सत्र 2022-23 में समस्त प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप ही सुनिश्चित किये जायेंगे ।

2. डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अहर्ता उस विषय के अध्यादेश में वर्णित योग्यता के अनुरूप होगी जैसा कि नीचे उल्लेख है ।

3. (क) विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश कि अनुमति तभी दी जाएगी जब वह पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण हो । जिन पाठ्यक्रमों में परीक्ष सुधार / बैक पेपर परीक्षा / पूरक परीक्षा अगली परीक्षा के साथ होती है उनमे अगली कक्षा में प्रवेश सम्बंधित अध्यादेश के अनुसार होगा ।

   (ख) 3(क) के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था केवल एल. एल. बी. सहित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों पैर लागू (प्रयोज्य) होगी ।

   (ग) किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए छात्र को परीक्षा सुधार में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण होने की प्रत्याशा में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा अर्थात पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय छात्र अहर्य होना चाहिए।

4. (क) परीक्षार्थी को बी. ए. / बी. एस. सी. / बी कॉम/ एल. एल. बी. (सेमेस्टर सिस्टम) / बी. बी. ए. /बी. सी. ए . की परीक्षा अधिकतम 6 वर्ष की अवधि में एम. ए . / एम. एस. सी. / एल. एल. एम. / एम. बी. ए . पूर्णकालिक 4 वर्ष की अवधि में बी. एस. सी. (कृषि) एवं बी. टेक. / बी. ई. पाठ्यक्रमों की परीक्षा अधिकतम 8 वर्ष की अवधि में और विधि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की परीक्षा 10 वर्ष में पूर्ण करनी होगी । अन्य समस्त पाठ्यक्रमों में भी पाठ्यक्रम की अवधि का अधिकतम दोगुने वर्षों में पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा । वर्ष की गणना उस शैक्षिक सत्र से की जाएगी जिस सत्र मे विद्यार्थी ने प्रथम बार पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो या परीक्षा दी हो । यह नियम व्यक्तिगत छात्रों पर भी लागू होगा ।

   (ख) यू. एफ. एम. के छात्रों को उतने वर्ष अधिक मिलेंगे जितने वर्ष तक वे परीक्षा से वंचित होते हैं। निरस्त की गयी परीक्षा की गणना वंचित में नहीं होगी ।

5. परीक्षार्थी को 4(क) में दर्शायी गयी अनुमन्य समय सीमा के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षा
6. उत्तीर्ण / पूर्ण न करने पर पुनः उसी स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।
   भूतपूर्व छात्र के रूप में प्रवेश की अनुमति होगी भूतपूर्व छात्र वही होंगे जो संस्थागत छात्र के रूप में जो विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा के कारन अनुत्तीर्ण हो जाते हैं उन्हें प्रयोगों को पूर्ण करने के लिए अनुत्तीर्ण हुए है।

7. विद्यार्थी को किसी अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक की वह उस पाठ्यक्रम को पूर्ण नहीं कर लेता है। जिसमें वह पहले से प्रवेश ले चुका है। अर्थात दो पाठ्यक्रम एक साथ करने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी एक का चयन करने का विकल्प परिक्षार्थी को होगा।

8.(अ) छात्र एक बार स्नातक उपाधि प्राप्त करने के उपरांत इस विश्वविद्यालय से पुनः किसी संकायान्तर्गत स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु अर्ह नहीं होगा।

(ब) यदि कोई छात्र/छात्रा जिसने किसी भी स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया है और तदन्तर वह प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम को पूर्ण किए बिना उसे अधूरा छोड़कर अन्य किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो छात्र/छात्रा के पूर्व के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं शुल्क वापिस नहीं होगा परन्तु यदि कोई छात्रा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण करने के पश्चात् मात्र बी0एड0/डी0एल0एड0/बी0पी0एड0 में प्रवेश पाता है तो उसे पूर्व के पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। परन्तु पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि का विस्तार नहीं किया जायेगा।

9. जो विद्यार्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम की परीक्षा के पाठ (भाग–एक, दो या तीन) की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गये हैं उन्हें इस विश्वविद्यालय में प्रवेश अनुमत नहीं होगा किन्तु विश्वविद्यालय उन विद्यार्थियों को स्नातक की अगली उच्च कक्षा में प्रवेश के लिए अनुमत कर सकता है जिन्होंने पूर्व कक्षा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो परन्तु यह प्रवेश नियम के अधीन होगा।

(क) संबंधित विषय की पाठ्यक्रम समिति (बोर्ड ऑफ स्टडीज) के समायोजक एवं संबंधित संकाय के अधिष्ठाता की संस्तुति और प्रवेश समिति के अनुमोदन के पश्चात् छात्र को प्रवेश दिया जायेगा और प्रवेश के समय उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा।

(ख) ऐसे विद्यार्थी विश्वविद्यालय के निर्धारित स्नातक पाठ्यक्रमों में ही अध्ययन कर सकेंगे।

(ग) यह नियम स्नातकोत्तर, प्रबंधन विधि अभियांत्रिकी कक्षाओं पर लागू नहीं होगा।

(घ) किसी अन्य विश्वविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग (नकल) में दंडित छात्रा का प्रवेश किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं होगा।

10. जिन विद्यार्थियों ने अदीब/अदीब–ए–माहिर/अदीब–ए–कामिल/फाजिल उत्तीर्ण किया है वे (10+2) होने पर स्नातक एव (10+2+3)होने पर ही परास्नातक में प्रवेश अर्ह होंगे।

11(क) जिन विद्यार्थियों ने किसी भी स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है उसे उसी पाठ्यक्रम की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(ख) एक विषय से स्नातक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को संस्थागत रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा किन्तु प्रयोगात्मक विषय वाले छात्रों को प्राचार्य की अनुमति से कक्षा में पढ़ने की अनुमति होगी किन्तु वह संस्थागत छात्र नहीं माना जायेगा और ऐसे छात्रों की संख्या स्वीकृत कुल सीटों की संख्या के अतिरिक्त मानी जायेगी अर्थात ये स्थान अधिसंख्य होंगे, ऐसे छात्र संस्थागत परीक्षा फार्म भरेंगे। एक विषय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपने पूर्व के स्ट्रीम में ही प्रवेश/परीक्षा दे सकेंगे।

12. स्नातकोत्तर स्तर के समस्त विषयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की परीक्षा 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न हो) के लिए 45 प्रतिशत प्राप्तांकों (स्नातक स्तर की परीक्षा में)की बाध्यता नहीं होगी।

13. बी0एड0/एम0एड0/एम0एससी0/एल0एल0एम0/बी0ई0/बी0टेक0/कक्षाओं में प्रवेश सम्मिलित प्रवेश परीक्षा के द्वारा होंगे। जब तक राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति कोई अन्य प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित न करें।

14. इस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय में पीएच0डी0 के लिये पंजीकृत विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के अन्य किसी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक अर्ह नहीं होंगे जब तक वह अपना शोध ग्रन्थ सम्बन्धित विश्वविद्यालय में जमा नहीं कर देते हैं तथा प्रवजन प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय में जमा नहीं करते।
15. विश्वविद्यालय परिसर और इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के किसी पाठ्यक्रम में दूसरे विश्वविद्यालय के छात्राओं को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक वह पाठ्यक्रम समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष से अनुमोदित नहीं हो ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश जिसका अनुमोदन समतुल्य समिति/संकायाध्यक्ष द्वारा अनमुोदित नहीं किया गया है, में प्रवेश लेने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति उसके सुनिश्चित परिणामों (आर्थिक, छात्रों का अहित आदि) के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
16. जिस छात्र ने स्नातकोत्तर उपाधि पहले से ही संस्थागत या व्यक्तिगत रूप से अर्जित कर ली हो उसको नियमित अर्थात संस्थागत छात्र के रूप में एल0एल0एम0/एम0एड0/एम0एस0डब्ल्यू एप्लाइट क्लीनि साइक्लोजी को छोड़कर अन्य स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
17. विदेशी छात्र जब तक विश्वविद्यालय से प्राप्त अपेक्षित पात्रता–प्रमाण पत्र और समस्त विश्वासी अभिलेख जनपद के पुलिस विभाग एवं गृह–मंत्रालय भारत सरकार के निकासी प्रमाण सहित कालेज के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तब तक उसे किसी भी कालेज के द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यही नियम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विभागों पर सामान्य रूप से लागू होगा।
18. एम.एस.सी. (सभी विषय) एवं एम.ए. (गणित, भूगोल, मनोविज्ञान, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान) में प्रवेश के लिये निम्न अतिरिक्त नियम निहित होगा।

(क) निर्धारित संख्या (स्वीकृत सीटों) से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अन्यथा महाविद्यालय तथा उसके प्राचार्य के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्त उपयुक्त नियमों के अनुसार त्रिवर्षीय बी.एस–सी. और बी0ए0 परीक्षा में द्वितीय श्रेणी के अंक (45% से किसी भी दशा में कम न हो) और एम.एस.सी/एम.ए. सम्बन्धित ऐच्छिक विषय जिसमें प्रवेश चाहता है उसमें 45 प्रतिशत अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों (जिनका जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न होगा) को नियमानुसार 5% प्राप्तांकों की छूट होगी अर्थात उनके लिए 40% होगा।

(ग) छात्र एम.एस–सी. एम.ए. में प्रवेश के लिए उन्हीं विषयों में आवेदन कर सकता है जिन विषयों में उसने स्नातक अन्तिम स्तर पर एक प्रमुख विषय के रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(घ) 1. एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय/एल0एल0बी0 पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 45% अंक होने चाहिएं। बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्राविधानित नियम III Rules of Legal Education के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0) हेतु प्रवेश की न्यूनतम अर्हता 42% निर्धारित की गयी है, अतः सामान्य जाति हेतु 45% अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 42% अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40% प्राप्त अंक प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रहेगी।

2. प्रवेश में शासनादेश के अनुसार सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण अनुमन्य होगा। सभी वर्गों में छात्राओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. बार कौंसिल ऑफ इण्डिया (बी0सी0आई0) द्वारा जारी चैप्टर– II स्टैन्डर्ड ऑफ प्रोफेशनल लीगल एजुकेशन के रूल–10 का अनुपालन सभी महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है। इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(च) मास्टर ऑफ लॉ (एल.एल.–एम.) डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वे विद्यार्थी अर्ह होंगे ? जिन्होंने इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय जो इस विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है, की एल.एल.बी. (त्रिवर्षीय)/एल.एल.बी. पाँचवर्षीय डिग्री प्राप्त की हो। एल.एल.एम. प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिखित प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता सूची द्वारा किया जायेगा।

(छ) एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के एक सेक्शन में 60 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

19(क) विश्वविद्यालय परीक्षा में अभद्र व्यवहार करने वाले विद्यार्थियों की शिकायत प्राप्त होने पर उन्हें किसी भी महाविद्यालय अथवा परिसर के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) वह विद्यार्थी जो पुलिस अभिलेखों के अनुसार हिस्ट्रीशीटर है अथवा अपराध में दोषी सिद्ध पाया गया है अथवा किसी अपराधिक मुकदमें में शामिल है, को किसी भी महाविद्यालय मेंप्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि पहले से प्रवेश पा चुका है तो उसका प्रवेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त हो जायेगा।

(ग) महाविद्यालय के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के कुलपति महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकते हैं, मना कर सकते हैं भले ही मामला जैसा भी हो।

(घ) किसी भी महाविद्यालय में नियमों के विरूद्ध विद्यार्थियों के किए गये प्रवेश मान्य नहीं होगें। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या से अधिक प्रवेश को कुलपति द्वारा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(ड़) जो विद्यार्थी प्राचार्य/प्राक्टोरियल स्टाफ सहित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचारी सहपाठियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा, गुण्डागिरी, रैगिंग अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी वर्ग के प्रति निन्दनीय वातावरण का सृजन करेगा उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा भविष्य में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

20(क) बी0एड0 और एम0एड0 कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के सामान्य नियम बी0एड0 और एम0एड0 के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

(ख) बी0एस–सी0 (कृषि) के प्रथम वर्ष में प्रवेश योग्यता के आधार पर होगा। कृषि सहित इण्टरमीडिएट या इण्टरमीडिएट जीव विज्ञान (बायोग्रुप) न्यूनतम योग्यता होगी। ऐसे प्रवेशार्थी जिन्होंने इण्टरमीडिएट विज्ञान (गणित ग्रुप) से उत्तीर्ण किया है उनके प्रवेश पर भी विचार किया जायेगा लेकिन उनकी योग्यता का आगणन उनकी योग्यता सूची से 5 प्रतिशत अंक घटाकर किया जायेगा। स्पष्टीकरण–गणित विषय की यह शर्त व्यक्तिगत विद्यार्थियों पर भी लागू होगी।

(ग) बी0सी0ए0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता इण्टरमीडिएट गणित विषय होगी।

21. एम0काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेशार्थी को बी0काम0 परीक्षा 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये नियमानुसार 5 अंकों की छूट अनुमन्य होगी। ऐसे प्रवेशार्थीजिन्होंने बी0ए0/बी0एस–सी0 अर्थशास्त्र अथवा गणित प्रमुख विषय के रूप में सहायक/गौण विषय के रूप में नहीं लिया है, को एम0काम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परन्तु जिन अभ्यर्थियों ने बी0ए0/बी0एस–सी0 में अर्थशास्त्र अथवा गणित विषय उत्तीर्ण किया है उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यह नियम संस्थागत छात्रों पर ही लागू होगा। बी0काम या एम0काम में किसी प्रकार के डिप्लोमा चाहे वह बोर्ड आफ एजूकेशन उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी बोर्ड से पास किया हो, के आधार पर छात्र प्रवेश का पात्र नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के डिप्लोगा को मान्यता प्रदान करने वाले पूर्व के सभी निर्णयों को निरस्त माना जायेगा।

22. बी0बी0ए0 और बी0सी0ए0 विश्वविद्यालय के अन्य स्नातक उपाधियों के समतुल्य है। बी0बी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम0काम और एम0ए0 अर्थशास्त्र और बी0सी0ए0 परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी एम.एस.सी. गणित और कम्प्यूटर साइन्स में भी प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बी0बी0ए0/बी0सी0ए0 का विद्यार्थी भी किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय के अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में जिसकी न्यूनतम योग्यता स्नातक है, प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

23. बाहर के विश्वविद्यालय के एक उपवेशन (सिटिंग) में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में अध्ययन के लिए पात्र नहीं होंगे।

24. जिन विद्यार्थियों ने जामिया–उर्दू, अलीगढ़ से अबीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस विश्वविद्यालय के किसी भी अध्ययन/पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
25. जिन अभ्यर्थियों ने यू0पी0 बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा मान्य अन्य किसी बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के अनुमति दी जायेगी।
26. उ0प्र0 माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, संस्कृत भवन, लखनऊ, द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा को इण्टर के समकक्ष मानते हुए स्नातक में प्रवेश हेतु अर्ह माना गया है।
27. जिन विद्यार्थियों ने सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से मध्यमा परीक्षा और शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की है वे क्रमशः बी0ए0 एवं एम0ए0 संस्कृत विषय में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अर्ह होंगे।
<u>स्पष्टीकरण</u>–सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की शास्त्री एवं संस्कृत के उपाधि प्राप्त छात्र बी0एड0 में प्रवेश हेतु अर्ह है। शिक्षण विषय हेतु हिन्दी, संस्कृत एवं शास्त्री उपाधि में जो विषय होंगे उन्हीं विषय में शिक्षण कार्य भी कर सकेंगे।
28. बाह्य विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र का नाम स्नातक में अतिरिक्त एकल विषय के लिए नामांकन विचारणीय नहीं होगा। इस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र अपने ही स्ट्रीम में एकल विषय की परीक्षा दे सकते हैं।
29. किसी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह अपनी पूर्व कक्षा/वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। महाविद्यालय/विभाग परीक्षा फार्म अस्थायी/अनन्तिम रूप से प्रवेश प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा फार्म पूर्व कक्षा/वर्ष के परीक्षा परिणाम को सत्यापित किये बिना अग्रसारित नहीं करेंगे।
30. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में जिन पाठयक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होना है उन पाठयक्रमों में प्रवेश परीक्षा आश्यकतानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रणाली से करायी जायेगी। इसकी अधिसूचना (Natification) पृथक से जारी की जायेगी।
31. जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश, परीक्षा के माध्यम से होगा उन पाठ्यक्रमों में सीधे प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अर्थात जो अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ है, वह किसी भी दशा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
32. प्रवेश समिति दिनांक 05/03/02 के बिन्दु सं0 06(1) के अन्तर्गत लिया गया निर्णय निम्नवत् है– "सामान्य रूप से निश्चय किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जाते हैं उनकी योग्यता सूची, मात्र प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही की जायेगी।"
33. बी0टेक एवं बी0फार्मा उत्तीर्ण छात्र एल0एल0बी0 में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।
34. कोविड–19 के दृष्टिगत समस्त ऑनलाइ प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश समिति दिनाँक 02/07/2021 के निर्णयानुरूप सम्पन्न करायी जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किये जा रहे। उक्त के अनुरूप समस्त महाविद्यालय योग्यता सूची तैयार कर विश्वविद्यालय के नियमानुसार विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रक्रिया अपनायेंगे।
35. वी0पी0एड0 एवं बी0एल0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगे।
36. विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पी0एच0डी0 के छात्र जो किसी कारण से एक कोर्स वर्क में शामिल नहीं हो सके अथवा अनुत्तीर्ण हो गये उन्हें अगले कोर्स वर्क में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा।
37. बी0काम0 प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वहीं नियम लागू होंगे जोकि सामान्य बी0काम0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये निर्धारित हैं।

खण्ड–'ख'

विशेष निर्देशः

1. धर्म जाति और लिंग के भेदभाव बिना प्राप्ताकों के प्रतिशत के आधार पर श्रेष्ठता सूची से प्रवेश लिये जायेंगे। (महिला महाविद्यालयों को छोड़कर)
2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग – 2 संख्या 1191/सत्तर – 2–2010 – 3 (58)/79 लखनऊ दिनांक 11 जून, 2010 के अनुसार निजी संस्थाओं को छोड़कर सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं एवं राजकीय महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमो में लम्बवत्आरक्षण एवं श्रैतिज आरक्षण निम्नानुसार लागू होगा।

   (i) लम्बत् आरक्षण : पिछड़ा वर्ग 27%, अनुसूचित जाति 21%, अनुसूचित जनजाति 2%

क. स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के अश्रित के लिए		प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 2 प्रतिशत
ख. उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र पुत्रियों को		प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतमक 5 प्रतिशत
शारीरिक रुप से निःशक्तजनों के लिए		प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 3 प्रतिशत
महिलाओं के लिए		प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत

(iii) आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिये। अन्य पिछड़ा वर्ग (noncreamy layer) के अभ्यर्थियों के पास उक्त प्रमाण पत्र तीन वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये।

(iv) शासनादेश संख्या 192/सत्तर–7–2019–बी.एड.(09)/2014 टी.सी. दिनाँक 29.05.2019 एवं शासनादेश संख्या 1/2019/4/1/2002/का–2/19 टी.सी.–II दिनों 18.02.2019 के अनुरूप उत्तर प्रदेश के निवासी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को कुल सीटों की 10 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकेगा। उक्त सीटें कुल स्वीकृत सीटों क अतिरिक्त होंगी एवं EWS' श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त सीटें रिक्त रखी जायेगी। एवं उन अतिरिक्त सीटों पर अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को 'EWS' श्रेणी का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत 'EWS' श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) शासनादेश संख्या 4004/15–11–88–31581/79 दिनांक 29 जून, 1988 के अनुरूप उत्तर प्रदेश से बाहर के प्रान्तों के अधिकतम 05 प्रतिशत छात्रों को मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में प्रवेश दिया जा सकता है।

3. एम. एस–सी. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को काउन्सिलिंग के आधार पर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए सीट आबंटित होती है। अतः इनमें प्रवेश स्थानान्तरण के सम्बन्ध में प्राचार्य कोई अनापत्ति विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेंगे। काउन्सिलिंग के आधार पर आबंटित सीटें एक संस्थान के दूसरी संस्थान में स्थानान्तरित नहीं होगी।

4. शासकीय सेवारत कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को उनके पिता के स्थानान्तरण छात्रा के विवाह, माता – पिता के स्वर्गवास की स्थिति में अन्तिम निवास में रहने हेतु अन्य विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं एवं संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र/छात्राओं का प्रवेश स्थानान्तरण के आधार पर अनुमन्य होगा।

5. प्रवेश के लिए ज्येष्ठता सूची तैयार करते समय प्रतिवर्ष के अन्तराल के 02 अंक घटाकर प्रवेश योग्यता सूची (मेरिट) तैयार की जायेगी। जिन परीक्षार्थियों ने सत्र 2015–16 में इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है और उन्होंने स्नातक उत्तीर्ण किया है और जुलाई 2019 में परास्नातक में प्रवेश लिया है, उनके परीक्षा आवेदन पत्र 03 वर्ष से अधिक अन्तराल के आधार पर निरस्त नहीं किये जायेंगे। उन्हें सत्र 2019–20 की मुख्य परीक्षा में अनुमत किया जाये।

6. ऐसा कोई छात्र स्नातक पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा जिसने 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 10+2+3 परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। शोध कक्षाओं यथा एम.फिल. एवं पी.एच.–डी. में प्रवेश हेतु भी छात्र का 10+2+3 के अन्तर्गण शिक्षा प्राप्त होना अनिवार्य है।

7. मान्य प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय की सूची संलग्न है। सामान्यतः महाविद्यालय के विषयों की कक्षा में प्रति सेक्शन 60 छात्रों को ही प्रवेश दिये जायेंगे और विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय 60 के स्थान पर 80 छात्रों के प्रवेश की अनुमति दे सकते है या विषय की सम्बद्धता के पत्र में अंकित संख्या तक ही प्रवेश दिये जा सकते है। शासन एवं विश्वविद्यालय से सम्बंद्धता प्राप्त किये बिना किसी भी महाविद्यालय द्वारा कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा।
प्रवेश हुेत तैयार की गई मेरिट सूची निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भंराक प्रदान किये जायेंगे।

8. प्रवेश हेतु तैयार की गई मेरिट सूची में निम्न विशिष्ट योग्यताओं के अतिरिक्त भारांक प्रदान किये जायेंगे।

अ.	(i) राष्ट्रीय अथवा अन्तर महाविद्यालय, खेलकूद प्रतियोगिता में भागीदारी और खेलकूद में विशिष्ट उपलब्धियों के भांराक	10 अंक
	(ii) विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिधित्व	05 अंक
ब.	विश्वविद्यालय/सम्बद्ध महाविद्यालय के (सेवारत सेवानिवृत्ति) कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/पत्नी	10 अंक
स.	(i) एन.सी.सी के 'सी' प्रमाण–पत्र अथवा 'जी1' प्रमाण पत्र	10 अंक
	(ii) बी और जी1 ''प्रमाण पत्रों के लिए	05 अंक
द.	(i) एन.एस.एस के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घंटे की सेवायें	10 अंक
	(ii) एन.एस.एस. का एक शिविर तथा 240 घंटे की सेवायें	
	(iii) 240 घंटे अथवा 120 घंटे तथा एक शिविर	05 अंक
य.	(i) 12वीं कक्षा स्तर तक स्काउट/गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर	05 अंक
	(ii) **या** प्रदेश के राज्पाल द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(iii) भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत	10 अंक
	(iv) रोवर्स/रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण	05 अंक

नोटः किसी भी स्थिति में किसी भी छात्र को 10 अंक से अधिक भारांक नहीं दिये जायेंगे। शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रदत्त श्रेणी की मान्यता यथावत रहेगी– अर्थात भारांक के आधार पर प्रभावित नहीं होगी। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु मात्र स्नातक स्तरीय क्रीडा प्रतियोगिता के सापेक्ष भारांक ही अनुमन्य होंगे। इसके अतिरिक्त क्रमांक स,द और य में से केवल एक मद ही स्वीकार्य होगा।

9. स्पोटर्स कोटे के अन्तर्गत राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खिलाड़ी के प्रवेश हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कुलपति महोदय द्वारा प्रवेश हेतु विशेष अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह नियम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से सम्पन्न होने वाले प्रवेश पर लागू नहीं होगी अर्थात जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश किये जायेंगे, उन पर प्रवेश के लिए कुलपति अनुमति नहीं देंगे।

स्पष्टीकरण– बी.एड. और एम.एड. कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा। बी.एड. व एम.एड. तथा रोजगार परक पाठ्यक्रम के प्रवेश पर स्पोटर्स कोटा मान्य नहीं होगा।

10. परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु उसी विषय लिया जा सकेगा जिन विषयों में उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो एवं अन्तिम वर्ष में जो विषय चुने गये हों। परास्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु योग्यता सूची छात्र के स्नातक के तीनों वर्ष के प्राप्तांक (प्रायोगिक परीक्षा को छोड़कर) तथा जिस विषय में प्रवेश चाहता है उसके अंक को सम्मिलित करते हुए योग्यता सूची तैयार की जायेगी। बी0कॉम0 प्रथम वर्ष में प्रवेश उन छात्रों को दिये जायेंगे जिन्होने इण्टरमीडिएट (कक्षा 12) अथवा समतुल्य परीक्षा कामर्स से उत्तीर्ण की हो। इसके अतिरिक्त स्वीकृत सीटों के सापेक्ष यदि कुछ सीटें रिक्त रह जाती है तो शेष सीटों पर अन्य वर्ग (गणित सहित) एवं गणित के छात्र उपलब्ध न होने पर अर्थशास्त्र विषय से इण्टर से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं के प्रवेश स्वीकृत किये जायेंगे।

    ऐसे छात्र जिन्होने इण्टरमीडिएट परीक्षा विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि से उत्तीर्ण की है एवं बी0ए0 में प्रवेश चाहते है उनके 5 अंक घटाकर योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा निर्धारित सीमा के अन्दर ही प्रवेश अनुमन्य किये जायेंगे।

11. प्राचार्य किसी भी छात्र को संस्था के हित में एवं अनुशासन बनाने के उद्देश्य के लिए बिना कारण बताये प्रवेश के लिए मना कर सकते है। किसी भी छात्र का प्रवेश नियमों के विपरीत पाये जाने पर कुलपति/प्राचार्य उसे निरस्त कर सकते है।
12. ऐसे छात्र जिन्होने स्नातक उपाधि अन्य किसी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हो वह इस विश्वविद्यालय से एकल विषय ब्रिज कोर्स की परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होंगें।
13. एम.ए. कक्षा में 10 प्रतिशत सीटें नॉन–स्ट्रीम के लिए आरक्षित होंगी। नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत भूगोल, संगीत, चित्रकला, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषयों में प्रवेश मान्य नहीं होंगे। एम.ए. नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत प्रवेश हेतु विज्ञान, वाणिज्य विधि के स्नातक छात्र ही मान्य होंगे। अर्थात बी0ए0 उत्तीर्ण छात्र नॉन–स्ट्रीम के अन्तर्गत नहीं आएगा। यदि किसी छात्र ने बी0ए0 तृतीय वर्ष मे अमुक विषय नहीं पढ़ा है तो वह अमुक विषय के लिए नॉन–स्ट्रीम नहीं होगा।
14. छात्र जिस श्रेणी (अर्थात सामान्य शुल्क, भुगतान शुल्क, अप्रवासी भारतीय (NRI) शुल्क एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम वाली सीटों) में प्रवेश लेता है तो वह उसी श्रेणी में पूरे पाठ्यक्रम में अध्ययन करेगा। यह श्रेणी अपरिवर्तनीय होगी। सामान्यतः किसी भी श्रेणी से दूसरी श्रेणी मे प्रवेश स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।
15. जिन पाठ्यक्रमों में किसी सक्षम संविधिक निकाय, समिति/अधिकारी से अनुमोदन आवश्यक है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रवेश दिया जाये।
16. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में नही हो सकता है किन्तु राजकीय महाविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालयों के छात्रों का स्थानान्तरण स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में हो सकता है।

    स्थानान्तरण के लिए छात्र कारणों का उल्लेख करते हुए दोनो महाविद्यालयों के प्राचार्यों की अनापत्ति के साथ विश्वविद्यालय में आवेदन करेगा। विश्वविद्यालय के अनुमोदन के पश्चात् ही स्थानान्तरण अनुमन्य होंगे अन्यथा की स्थिति में गलत प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे और विश्वविद्यालय ऐसे स्थानान्तरित छात्र की परीक्षा सम्पन्न नही कराएगा। सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्य स्थानान्तरण हेतु अनापूर्ति विश्वविद्यालय को तभी प्रेषित करेगे जब प्रवेश नियमावली के बिन्दु सं 4 की शर्ते पूरी हो रही हो।

    स्पष्टीकरण– यदि कोई स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम राजकीय या सहायता प्राप्त अनुदानित महाविद्यालय में चल रहा है तो स्ववित्तपोषित महाविद्यालय के छात्र का स्थानान्तरण उपरोक्त महाविद्यालय में हो सकेगा। बिन्दु संख्या 4 की शर्ते उक्त स्थानान्तरण पर भी लागू होगी।
17. विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध नियमों के अनुरूप किये जायेंगे।
18. डिप्लोमा एवं पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रवेश लेने हेतु क्रमशः इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक अनिवार्य है। अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियमानुसार 5 प्रतिशत अंकों की छूट होगी।
19. महाविद्यालय में चले रहे विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में न्यूनतम प्रवेश संख्या 10 होगी। न्यूनतम प्रवेश संख्या पूर्ण न होने की स्थिति में पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाना संभव नहीं होगा। साथ ही अधिकतम प्रवेश संख्या 40 निर्धारित की जाती है,इससे अधिक प्रवेश किसी भी स्थिति में अनुमन्य नहीं होंगें।
20. जो भी छात्र संस्थागत रूप में प्रवेश लेता है और वह कहीं पर सरकारी या गैर सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा और साथ ही साथ पाठ्यक्रम की अवधि दौरान छुट्टी लेगा अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। यदि यह तथ्य छात्र छुपाता है और अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के संज्ञान में बात आती है तो उसे परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

21. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26.07.2013 के पूरक कार्यवृत्त सं 4 पर लिये गये निर्णयानुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) नई दिल्ली, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (यूपीआरटीओयू) इलाहाबाद एवं अन्य प्रदेशों की राज्य सरकारों द्वारा अपने प्रदेश में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालय जो एआईयू से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची में उल्लिखित है, उन विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश/परीक्षा फार्म भरने हेतु अर्ह माना जाये साथ ही निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण किये बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बी.पी.पी. के अन्तर्गत उत्तीर्ण स्नातक परीक्षा से संबंधित छात्रों का प्रवेश/व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरवाने संबंधी कार्यवाही न की जाये।

22. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ 5–1/2008 (सीपीपी–11) दिनांक शून्य मई, 2009 के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी) (NIT) को भारत सरकार के अधिनियम एनआईटी एक्ट 2007 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। तद्नुसार उन्हें डिग्री देने हेतु अधिकृत किया गया है, इनसे प्राप्त उपाधि का प्रवेश विश्वविद्यालय में हो सकेगा। (प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 31.08.2012 द्वारा अनुमोदित)

23. प्रवेश नियमावली में जहां–जहां न्यूनतम अंको को योग्यता के लिए निर्धारित किया गया है उनमें कोई शिथिलिता प्रदान नहीं की जाएगी अर्थात यदि प्रवेश हेतु 45 प्रतिशत अंक मान्य है तो 44.9 प्रतिशत अंक मान्य नही होगा।

24. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं ए.आई.यू. से मान्यता प्राप्त दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्थापित समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवेश हेतु अहर्य माना जाये।

महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ

मूल्य ₹150/-

विवरणिका
सत्र 2022-23

Printed by -
Bhargava Printing Press, Chandausi
Ph ; 05921-250347